

**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

क्र. संख्या तारीख	विवरण	3
1	2	
7-8-20	COVID-19 के कारण लॉक डाउन दिनांक 13-10-20 को रखें। उप समाहर्ता	
17-10-20	उच्च पक्ष अनु. समाहर्ता निर्वाचन कार्य में व्यस्त। दिनांक 18-1-21 को रखें। उप समाहर्ता	
18-1-21	उच्च पक्ष अनु. विपक्षी पक्ष पर अनुपस्थित। अपीलार्थी वाद में अभिलेख ले। सुनवाई हेतु 20-3-21 को रखें। उप समाहर्ता	
20-3-21	उच्च पक्ष अनुपस्थित। इस वाद में दिनांक 18-1-21 को उच्च पक्ष अनुपस्थित रहने के कारण अपीलार्थी को वाद में अभिलेख लेने का आदेश दिया गया। इसके बाद भी उच्च पक्ष अनुपस्थित है। आदेश इससे स्पष्ट होता है कि उच्च पक्ष को वाद संचालन में कोई अभिलेख नहीं है। इसलिए अपील वाद को रवारिज करने हुए, वाद की कार्रवाई समाप्त कि जाती है। उप समाहर्ता	